

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—137 / 2011
 संस्थित दिनांक—10.03.2011
 फाईलिंग क.234503001892011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी सोनेवानी, आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// / विरुद्ध //

संतलाल उर्फ कोहलू पिता रामा कुसरे, उम्र—55 वर्ष, जाति गोंड
 साकिन—कुल्पा, चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// / निर्णय //

(आज दिनांक—05 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25, 27 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—06.09.2010 को करीब 4:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम कुल्पा में अपने आधिपत्य में एक भरमार बंदूक बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे पाया गया, जिसे रखने के लिए उसके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र नहीं था।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना रूपझर के प्रधान आरक्षक रंगलाल मरकाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुल्पा का कोहलू उर्फ संतलाल तेकाम अपने घर से खाना बनाकर नक्सलियों के लिए ले जा रहा है व साथ में एक भरमार बंदूक भी रखा है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टॉफ के साथ रवाना हुआ तो ग्राम सुक्कलदण्ड के जंगल के तरफ एक व्यक्ति रॉयफल लिये भागते दिखाई दिया, जिसे आवाज देने पर वह रॉयफल व पोज छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया, जिसे जंगल में तलाश करने पर वह नहीं मिला। मौके पर एक भरमार रॉयफल काले रंग की व पोज छोड़ा था। सूचनाकर्ता रंगलाल मरकाम प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक—100 / 2010, आयुध अधिनियम की धारा—25 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना के

दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के समक्ष एक भरमार बंदूक, एक काला रंग का पट्टा एवं छर्रे रखने का पोचा जप्त कर जप्तीपंचनामा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेख किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-06.09.2010 को करीब 4:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम कुल्पा में अपने आधिपत्य में एक भरमार बंदूक बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे पाया गया, जिसे रखने के लिए उसके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र नहीं था ?

: : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

5— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रंगलाल मरकाम (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-06.09.2010 को पुलिस चौकी सोनेवानी, थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर था। उक्त दिनांक को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुल्पा के जंगल में संतलाल नक्सलियों के लिए भोजन लेकर जा रहा है और साथ में एक रॉयफल भी रखा है। उक्त सूचना पर उसने समस्त स्टॉफ के साथ सर्चिंग के लिए रवाना होने पर व्यक्ति को सर्चिंग के दौरान थैले में कुछ लिया हुआ व रॉयफल रखे हुए दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर रोका गया तो वह अपनी रॉयफल फेंककर जंगल की तरफ भाग गया। उसने मौके पर ही एक भरमार बंदूक, एक काला रंग का पट्टा एवं छर्रे रखने का पोचा जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने भरमार बंदूक की पहचान गवाहों के समक्ष कराकर पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उसी समय घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया।

6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक-06.09.2010 को वापस आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 लेख किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-10.09.2010 को आरोपी के फरार होने से उसके घर का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार किया। दिनांक-20.10.2010 को आरोपी का फरारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया। उसने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पेश करने की अनुमति कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी बालाघाट से प्राप्त की और जप्तशुदा भरमार बंदूक का परीक्षण करवाया।

7— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी को दिनांक-19.01.2011 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया और उससे पूछताछ की। उसके द्वारा प्रकरण में खानगी रोजनामाचा सान्हा क्रमांक-104 व वापसी रोजनामाचा सान्हा क्रमांक-113 प्रकरण में संलग्न किया है। साक्षी की साक्ष्य के दौरान जप्तशुदा भरमार बंदूक को आर्टिकल ए-1 व काले रंग के पट्टे व उसके पोच के आर्टिकल ए-2 व आर्टिकल ए-3 के रूप में अंकित कराया गया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी और जप्ती वाला स्थान खुला स्थान है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक व्यक्ति का लेख किया है, क्योंकि आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने आरोपी के घर की तलाशी हेतु कोई वारंट नहीं लिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं पुलिस लाइन में बंदूक को परीक्षण कराने हेतु नहीं ले गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा ही प्रकरण की संपूर्ण विवेचना की गई है।

8— राधेश्याम भोरेकर (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक पुलिस लाइन बालाघाट शस्त्रागार में आर्मोरर के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा चौकी प्रभारी सोनेवानी को अपराध क्रमांक-100/2010, धारा-25, 27 आर्म्स एक्ट में जप्त सामग्री का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट दी गई थी, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके तथा रक्षित निरीक्षक आनंद सोनी के हस्ताक्षर हैं, जिनसे वह भलीभांति परिचीत है, क्योंकि उनके साथ उसने विगत 3 वर्ष तक कार्य किया है। हस्ताक्षर हैं। उसने परीक्षण में भरमार बंदूक चालू हालत में पाया था तथा उसके साथ विस्फोटक सामग्री 11 नग लोहे के छर्रे, तीन नग छोटे छर्रे, साईकिल के चार नग छर्रे, एल्युमिनियम की शीशी में बारूद एवं प्लास्टिक पन्नी, चिन्दी, दो नग कैप व स्कू पाया था।

9— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने बारूद किस क्वालिटी का था यह परीक्षण रिपोर्ट में नहीं लिखा। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा भरमार बंदूक की लंबाई तीन फिट पांच सेमी. मापी गई थी तथा परीक्षण की गई बंदूक की लंबाई चार फिट नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 में परीक्षण हेतु लाई गई सामग्री सीलबन्द होने का लेख नहीं किया गया है, क्योंकि सामग्री खुली अवस्था में लाई गई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया उक्त बंदूक चौकी सोनेवानी के रंगलाल मरकाम ने लेकर आया था।

10— अभियोजन की ओर से जप्ती कार्यवाही के महत्वपूर्ण साक्षीगण गणेश (अ.सा.1) एवं जीवनसिंह (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानते और उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण ने उनके सामने जप्ती की कार्यवाही व मौकानक्शा की कार्यवाही होने से भी इंकार किया है। इन साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कथित जप्ती की कार्यवाही, मौकानक्शा की कार्यवाही व पहचान का पंचनामा प्रदर्श पी-4 से इंकार किया है। साक्षीगण ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब वह पुलिस चौकी सोनेवानी गए थे, तो पुलिसवालों के कहने पर सादे कागजों पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— अभियोजन की ओर से अन्य साक्षी गुलशन उइके ने मामलों में असल रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-10 को पेश किया है। उक्त रोजनामचा सान्हा में यह लेख नहीं है कि जप्ती अधिकारी कथित मुखबिर की सूचना पर आरोपी को तलाशी हेतु जंगल में रवाना हुआ। उक्त दस्तावेज में यह भी लेख नहीं है कि कथित रवानगी या वापसी में जप्ती अधिकारी ने पंच साक्षीगण गणेश व जीवन को अपने साथ ले गया था या उनके सामने कोई कार्यवाही की गई थी। वास्तव में उक्त रोजनामचा सान्हा से यह प्रकट नहीं होता कि जप्ती अधिकारी के द्वारा हमराह स्टॉफ के साथ कथित पंच साक्षीगण को भी ले जाया गया था। ऐसी दशा में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गणेश (अ.सा.1) व जीवनसिंह (अ.सा.2) के द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन न कर मात्र पुलिस के कहने पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कथन स्वाभाविक प्रतीत होते हैं।

12— एफ.एल. बोकड़े (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक-03.03.2011 को जिला दण्डाधिकारी बालाघाट कार्यालय में क्लर्क के पद पर था और उस समय नवनीत मोहन कोठारी जिला दण्डाधिकारी ने अपराध क्रमांक-100/2010, धारा-25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदर्श पी-11 प्रदान की थी। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

13— प्रकरण में एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जप्ती, गिरफ्तारी एवं फरियादी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है और संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की गई है। यह सही है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही करने के उपरांत उसे प्रकरण में शेष अनुसंधान कार्यवाही एवं फरियादी के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के अधिकार की समाप्ति नहीं हो जाती और केवल इस कारण की एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लेने से मामला संदेहास्पद नहीं होता, किन्तु जहां एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही अकेले के द्वारा आरोपित मामले जैसे अपराध में की हो, वहां उसकी कार्यवाहियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता होना आवश्यक है तथा ऐसी कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है।

14— जप्ती अधिकारी रंगलाल मरकाम (अ.सा.4) के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। इस साक्षी के द्वारा मौके पर रवाना होने एवं वापसी के संबंध में रोजनामचासान्हा दर्ज किया जाना बताया है, किन्तु साक्षी के कथन अनुसार उक्त रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-10 में कथित पंच साक्षीगण को हमराह लिये जाने का लेख नहीं है। जप्ती अधिकारी के द्वारा मौके पर कथित जप्तशुदा हथियार व सामग्री को सील बंद भी नहीं किया गया न ही इस संबंध में कोई पंचनामा में दर्शाया गया है। मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज होना प्रकट होती है, किन्तु उक्त रिपोर्ट में ही आरोपी की पहचान न होने से एक व्यक्ति मौके से भागने का लेख किया गया है, तब उक्त व्यक्ति का आरोपी के रूप में पहचान किया जाना आवश्यक था, किन्तु आरोपी की गिरफ्तारी के समय उक्त व्यक्ति के रूप में पहचान की कार्यवाही भी नहीं कराई गई है।

15— जप्ती अधिकारी रंगलाल (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में जप्तशुदा भरमार बंदूक को आर्मोरर राधेश्याम (अ.सा.3) के पास परीक्षण करने हेतु स्वयं नहीं ले जाना स्वीकार किया है, जबकि राधेश्याम (अ.सा.3) ने कथित परीक्षण हेतु स्वयं रंगलाल मरकाम के द्वारा

भरमार बंदूक पेश किया जाना बताया है। इस प्रकार कथित परीक्षण के समय भरमार बंदूक का उचित माध्यम से परीक्षण हेतु प्रेषित होना भी संदेहास्पद है। इसके अलावा आर्मोरर राधेश्याम (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में परीक्षण किये जाने वाली भरमार बंदूक की लंबाई तीन फिट चार सेमी. होना बताते हुए चार फिट वाली बंदूक का परीक्षण न किया जाना स्वीकार किया है, जबकि जप्ती अधिकारी रंगलाल (अ.सा.4) ने जप्तशुदा भरमार बंदूक की लंबाई तीन फिट पांच इंच होने से इंकार करते हुए जप्तशुदा बंदूक की लंबाई चार फिट होना बताया है। ऐसी दशा में जप्तशुदा बंदूक का ही परीक्षण किया जाना पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

16— जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का किसी भी साक्षी के द्वारा समर्थन न किये जाने से, उसके द्वारा की गई कार्यवाही में तात्त्विक त्रुटियां विद्यमान होने, जप्तशुदा कथित भरमार बंदूक का विधिवत् परीक्षण न कराने, आरोपी से जप्ती की कार्यवाही न कर खुले स्थान से कथित जप्ती की कार्यवाही किये जाने, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी को एक व्यक्ति के मौके पर फरार होने का लेख करने और पश्चात् में आरोपी की पहचान कार्यवाही न कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अभियोजन प्रस्तुत किया जाना अभियोजन के मामलों में ऐसी युक्तियुक्त संदेहास्पद त्रुटियां उत्पन्न करता है, जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है। जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही में महत्वपूर्ण संदेहास्पद परिस्थितियों को भी अभियोजन साक्ष्य के दौरान दूर नहीं किया गया है। ऐसी दशा में एकमात्र जप्ती अधिकारी के द्वारा मामले में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

17— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में अपने आधिपत्य में एक भरमार बंदूक बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे पाया गया, जिसे रखने के लिए उसके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा-25, 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलका भारमुक्त किए जाते हैं।

19— मामले में आरोपी दिनांक—30.01.2011 से दिनांक—14.02.2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति भरमार बंदूक व छर्रे आदि जिला शस्त्रागार बालाघाट में जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से अपील अवधि पश्चात् जमा किया जावे अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट